

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त उप निदेशक मत्स्य /
सहायक निदेशक मत्स्य /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
मत्स्य पालक विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-

/ नि०शा० /

दिनांक- 27 जुलाई, 2018

विषय:- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आनलाइन आवेदन किये जाने के अन्तिम तिथि के संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत है कि प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से नवीन केन्द्रीय योजना के रूप में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में संचालित किया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों से संदर्भित योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाली विभिन्न लाभार्थीपरक उप योजनाओं के सापेक्ष लाभार्थियों को अनुदान प्राप्त करने हेतु विभागीय पोर्टल <http://fymis.upsdc.gov.in> पर आनलाइन आवेदन किये जाने के लिए पत्रांक- 3994/नि०शा०/प्र०म०स०यो०/2020 दिनांक 06 जुलाई, 2020 के माध्यम से दिनांक 25.07.2020 निर्धारित की गयी थी।

इस संबंध में वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत संदर्भित योजना के आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु अन्तिम तिथि संशोधनोपरान्त दिनांक 10 अगस्त, 2020 निर्धारित की जाती है।

भवदीय,

(एस०के० सिंह)

निदेशक मत्स्य, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:-

4130-A / नि०शा० /

उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री अंशुमान सिंह पवार, वरिष्ठ सहायक, मुख्यालय को इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं विभागीय पोर्टल <http://fymis.upsdc.gov.in> पर अपलोड कराये जाने हेतु।



(एस०के० सिंह)

निदेशक मत्स्य, उ०प्र०, लखनऊ।